

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 27 SEP 2023


::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कोलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन यादों को शीघ्र निपटाने हेतु कोलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कोलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़	अपर जिला न्यायाधीश, रावतसर	रावतसर

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रायधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियों प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(नान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख धारसन सचिव

**RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR**

No. Gen./11/23/23..1630..

Date: 13/10/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The District & Sessions Judge, Hanumangarh
3. The concerned Additional District & Sessions Judge through District & Sessions Judge.
4. The Chief Judicial Magistrate, Hanumangarh
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

  
13/10/2023  
REGISTRAR (RULES)